न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीश – बलराम प्रसाद वर्मा)

विविध दांडिक प्रक०क्रमांक 73/2025

राधेश्याम पाण्डेय, उम्र 76 वर्ष,
पिता रमाशंकर
प्रोपाईटर– ए–1 फ्युल्स भारत पेट्रोलियम
अमेनिटीश एरिया फेस–2 इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर
सिलतरा रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.
द्वारा खास मुख्तियार– पवन कुमार, उम्र 42 वर्ष
पिता सुदर्शन राय, मैनेजर– ए–1 फ्युल्स सिलतरा,
जिला रायपुर, छ.ग.
साकिन– आदर्श फ्युल्स विधानसभा मार्ग, नरदहा
जिला रायपुर, छ.ग. । **------ आवेदक**

– विरूद्ध –

1. सौरभ ताम्रकार, उम्र 39 वर्ष पिता अरूण ताम्रकार
संचालक– महामाया लाजेस्टिक इंडिया,
प्रायवेट लिमिटेड केयर/ऑफिस ब्लॉक नंबर–08
फस्ट फ्लोर पार्किंग 06 ट्रांसपोर्ट नगर
रावांभाठा रायपुर, थाना–खमतराई, जिला रायपुर,छ.ग.
वर्तमान पता– सौरभ ताम्रकार, उम्र 39 वर्ष
पिता अरूण ताम्रकार
पता– बंजारी नगर, वार्ड न.66, मकान नं.1728 कुशालपुर
थाना पुरानी बस्ती रायपुर, तहसील व जिला रायपुर, छ.ग.

2. छ.ग. शासन
द्वारा जिलाधीश, रायपुर, छ.ग. । **------- अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा श्री भारतेन्द्र साहू, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र.1 द्वारा श्री सुशांत चटर्जी, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र.2 द्वारा श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, लोक अभियोजक ।

– आदेश –

(आज दिनांक 06.09.2025 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निराकरण किया जा रहा है ।

2. आवेदक का आवेदन एवं तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि कु. गीता बृज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 2120/2020 राधेश्याम पांडेय विरूद्ध सौरभ ताम्रकार में दिनांक 19.12.2024 को पारित निर्णय में सजा बढ़ाये जाने बाबत अपील आवेदक/परिवादी राधेश्याम पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर, विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) रायपुर के न्यायालय में अपंजीकृत दांडिक अपील राधेश्याम पाण्डेय विरूद्ध सौरभ ताम्रकार के रूप में लंबित है । इसी तरह अनावेदक क्र.1/अभियुक्त सौरभ ताम्रकार द्वारा उक्त प्रकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जो दांडिक अपील क्रमांक 49/2025 सौरभ ताम्रकार विरूद्ध राधेश्याम पाण्डेय के रूप में श्री जितेन्द्र प्रधान, चतुर्थदश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित है। न्याय के उददेश्य हेतु उक्त दोनों प्रकरणों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों को किसी एक न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अनावेदकगण द्वारा उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है ।

4. अब आवेदन के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि– **"क्या धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है?"**

// सकारण निष्कर्ष //

5. उक्त आवेदन के निराकरण हेतु श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर, विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) रायपुर के न्यायालय में अपंजीकृत दांडिक अपील राधेश्याम पाण्डेय विरूद्ध सौरभ ताम्रकार तथा श्री जितेन्द्र प्रधान, चतुर्थदश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय के दांडिक अपील क्रमांक 49/2025 सौरभ ताम्रकार विरूद्ध राधेश्याम पाण्डेय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. उक्त दोनों न्यायालयों के प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कु. गीता बृज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 2120/2020 राधेश्याम पांडेय विरूद्ध सौरभ ताम्रकार में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध प्रकरण के परिवादी राधेश्याम पाण्डेय द्वारा अपील

प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर, विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) रायपुर के न्यायालय में अपंजीकृत दांडिक अपील राधेश्याम पाण्डेय विरूद्ध सौरभ ताम्रकार के रूप में लंबित है । इसी तरह कु. गीता बृज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 2120/2020 के अभियुक्त सौरभ ताम्रकार द्वारा भी उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में श्री जितेन्द्र प्रधान, चतुर्थदश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में दांडिक अपील क्रमांक 49/2025 सौरभ ताम्रकार विरूद्ध राधेश्याम पाण्डेय के रूप में लंबित है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरण एक ही दांडिक प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, किन्तु उनका विचारण अलग–अलग न्यायालय में किया जा रहा है। अतः उचित विचारण एवं न्याय निर्णयन हेतु उक्त दोनों अपील प्रकरणों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

7. अतः ऐसी स्थिति में आवेदन अंतर्गत धारा **448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** स्वीकार करते हुये श्री जितेन्द्र प्रधान, चतुर्थदश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 49/2025 सौरभ ताम्रकार विरूद्ध राधेश्याम पाण्डेय को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर अग्रिम विचारण एवं विधिपूर्ण निराकरण हेतु श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर, विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) रायपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ उक्त दोनों न्यायालयों का अभिलेख सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2025.09.08 11:52:04 +0530

रायपुर,
दिनांक 06.09.2025

(बलराम प्रसाद वर्मा)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर,
छ.ग.।